



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-27052024-254348  
CG-UP-E-27052024-254348

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1980]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 24, 2024/ज्येष्ठ 3, 1946

No. 1980]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 24, 2024/JYAISHTHA 3, 1946

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (इंजीनियरिंग विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 22 मई, 2024

**का.आ. 2079(अ).**—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) उल्लिखित राज्य में उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित निम्नांकित परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती हैं

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य/संघराज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	नैनी-मानीकपुर सेक्शन में मानव सहित लेवल कॉसिंग संख्या 414 को आर.यु.बी. के द्वारा बन्द करना, रीवा, मध्य प्रदेश	

[ई-फाईल नंबर :NCR फाईल नंबर NCR -HQ0ENGG (CORR)/13/2024-O/o Dy.CE/Br./L/ALD  
(कंप्यूटर नंबर 115594)]

सुखमल चन्द जैन, प्रमुख मुख्य इंजीनियर

**MINISTRY OF RAILWAYS****[North Central Railway (Engineering Department)]****NOTIFICATION**

Prayagraj, the 22nd May, 2024

**S.O. 2079(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby notifies the following project as Special Railway Project, as mentioned in column (2) of the table, with effect from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

**TABLE****Special Railway Project**

S. No. (1)	Name of Project (2)	State/UT (3)
1.	Elimination of manned Level crossing No 414 by providing RUB in Manikpur - Naini section, Rewa, Madhya Pradesh.	

[e-file No. NCR File No. NCR -HQ0ENGG (CORR)/13/2024-O/o Dy.CE/Br./L/ALD  
(Computer No. 115594)]

SUKHMAL CHAND JAIN, Principal Chief Engineer